न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री राजेश मेवाड़ा (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या :— 256/2018

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीः—
1. डावरलाल पुत्र घेवर, जाति घांची, निवासी सोजतसिटी, तहसील सोजत जिला पाली राज0		1. घेवरराम पुत्र वेलाराम जाति घांची निवासी सोजतसिटी, जिला पाली राज0 2. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि—धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला—पाली

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री सम्पतराज मेहता, श्री गजेन्द्र कुमार मेहता एवं श्री बी0 आर0 चौधरी अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 30.09.2019

अधिवक्तागण मय प्रार्थी ने एक विविध प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय तहसील सोजत में कृषि भूमि का पर्चा लगान संख्या 64 प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 घेवरराम पुत्र वेलाराम के नाम जारी हुआ था। मौजा सोजत चक 2 में खसरा संख्या 1408, 1410, 1422, 1411/3517 कुल किता 04 रकबा 2.8300 हैक्टर बारानी अव्वल स्थित है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 घेवरराम पुत्र वेलाराम ने इस कृषि भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थी व प्रार्थी के भाई बचनीलाल पुत्र घेवरराम का बराबर बराबर हिस्से में कब्जा काश्त होने की वजह से दिनांक 18.12.1979 को श्रीमान ए0एस0ओ0 साहब जोधपुर पार्टी संख्या 3 क्षैत्र सोजत को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सोजत चक 2 की सीमा का पर्चा लगान 64 रकबा 2.8300 हैक्टर मिला है इस भूमि पर काश्त कब्जा मेरे लड़को डावरलाल व बचनीलाल पिसरान घेवर का है महरवानी फरमाकर पर्चा लगान नंबर 64 पर मेरा नाम खारिज कर डावरलाल 1/2, वचनीलाल 1/2 पिसरान घेवरराम कौम घांची दर्ज फरमावे। जिस पर सहायक भू अभिलेख अधिकारी एवं सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर कैम्प सोजत के न्यायालय में पत्रावली संख्या 2550/79 कायम की गई। सहायक भू अभिलेख अधिकारी एवं सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी द्वारा बाद लेने बयानात दिनांक 18.12.1979 को यह आदेश प्रदान किया गया कि उपरोक्त खसरा नम्बरान पर डावरलाल पुत्र घेवरराम हिस्सा 1/2 व बचनीलाल पुत्र घेवरराम का हिस्सा 1/2 कौम घांची खातेदार दर्ज किया जावें। तरमीम पर्चा, जारी हो रेकर्ड में अमल दरामद कर पत्रावली फैसल शुमार हौ। इस आदेश दिनांक 18.12.1979 की पालना में पर्चा लगान संख्या 64 खसरा संख्या 1408, 1410, 1422 व 1411/3517 में तरमीम कर घेवर वल्द वेला के स्थान पर प्रार्थी डाबरलाल वल्द घेवर का 1/2 व बचनीलाल वल्द घेवर 1/2 दर्ज किया गया तथा इन खसरा नम्बरान में खसरा संख्या 1408 के खसरा मिलान पत्रक में यथा स्थान सहायक भू—अभिलेख अधिकारी एवं सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी के आदेश का उल्लेख करते हुए एवं खसरा संख्या 1410, 1422 व 1411/3517 के खसरा मिलान पत्रक में यथास्थान

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

सन0 खसरा संख्या 1408 लिखकर के तरमीम कर घेवर के स्थान पर डाबरलाल पुत्र घेवर एवं बचनीलाल पुत्र घेवर नाम इन्द्राज कर दिया गया है। दिनांक 18.12.1979 के पूर्व से आज तक इस कृषि भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थी का 1/2 हिस्से में व बचनीलाल पुत्र घेवरराम का हिस्सा 1/2 हिस्सा खातेदार काश्तकार है। सैटलमेंट के दौरान वर्तमान सैटलमेंट की जो खसरा संख्या 1408, 1410, 1422 व 1411/3517 की जमाबंदी बनी उनमें तत्कालीन पटवारी की त्रुटिवश, भूलवश तरमीम पर्चा जारी हो जाने व खसरा मिलान पत्रक में संशोधन कर दिये जाने के बावजूद भी, घेवर पुत्र वेला के स्थान पर प्रार्थी डाबरलाल का 1/2 हिस्सा एवं बचनीलाल पुत्र घेवर का 1/2 हिस्सा तरमीम कर दर्ज करना रह गया व आज भी ये खसरा नम्बर घेवर पुत्र वेला के नाम जमाबंन्दियों में खातेदार के रूप में इन्द्राज चला आ रहा है। परन्तु इन खसरा नम्बरान के 1/2 हिस्से में आज भी कब्जा काश्त प्रार्थी का बहैसियत खातेदार काश्तकार बरकरार हैं एवं 1/2 हिस्से में बचनीलाल पुत्र घेवरराम का काश्त एवं कब्जा है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 घेवरराम ने माह नवम्बर सन् 2013 में प्रार्थी को कहा कि इस कृषि भूमि पर तेरा 1/2 हिस्से पर व बचनीलाल का 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त भले ही हो परन्तु जमाबंदी रेवेन्यु रेकर्ड में आज भी यह कृषि भूमि मेरे नाम से खातेदार दर्ज है। इसलिये मैं इस कृषि भूमि को विक्रय कर दूंगा, नहीं तो तू इस कृषि भूमि का रेकर्ड सुधरवादे, तब प्रार्थी ने इस कृषि भूमि के सम्बन्धित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि निकलवाई। प्रार्थी को तरमीम पर्चा लगान की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 23.06.2014 को प्राप्त हुई है। दिनांक 25.04.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 ने पारिवारिक सैटलमेंट का प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई बचनीलाल के पक्ष में निष्पादित किया, जिसमें भी इन खसरा नम्बरान सख्या 1408, 1410, 1411/3517, 1422 में प्रत्येक खसरा में दोनो भाईयों का आधा आधा हिस्सा माठे डालकर मौके पर किया हुआ है तथा 25 वर्ष पूर्व दोनो भाईयों का बंटवाड़ा कर सुपुर्द कर दिया गया का उल्लेख किया हुआ है। अब अप्रार्थी संख्या 1 को किसी की सिखावट में आकर के इस कृषि भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है, न ही ऋण लेने का अधिकार है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 ने बैंक से ऋण लिया है जो सिखावट में आकर के लिया है! जिसे ऋण मुक्त करा कर प्रार्थी इन खसरा नम्बरान में सें 1/2 हिस्से अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 2 भूमि धारक होने से पक्षकार बनाये गये है। प्रार्थी ने दिनांक 24.06.2019 को श्रीमान तहसीलदार सोजत अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर श्रीमान तहसीलदार सोजत ने पटवारी सोजत से मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट मंगवाई जिसने इस कृषि भूमि के 1/2 हिस्से पर प्रार्थी का व 1/2 हिस्से पर वचनीलाला का कब्जा होने की पुष्टि की गई तथा श्रीमान तहसीलदार सोजत ने उक्त प्रार्थना पत्र व सम्बन्धित कागजात व पटवारी सोजत द्वितीय की रिपोर्ट सहित दुरूस्ती व संशोधन हेतु प्रकरण दिनांक 10.07.2014 को प्रेषित किया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मय शपथ पत्र एव दस्तावेजात पेश कर माफिक आदेश सहायक भू अभिलेख अधिकारी एवं सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर दिनांक 18.12.1979 पत्रावली संख्या 2550/79 एवं तरमीम पर्चा लगान संख्या 64 अवधि बन्दोबस्त 20 वर्ष (2033–2052) तक व माफिक संशोधन खसरा मिलान पत्रक इस कृषि भूमि के रेवेन्यु रेकर्ड जमाबंदी में संशोधन कर घेवर पुत्र वेला के स्थान पर प्रार्थी डावरलाल पुत्र घेवरराम 1/2 हिस्सा एवं बचनीलाल पुत्र घेवरलाल 1/2 हक हिस्सा दर्ज फरमाया जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 को बावजूद तामिली सूचना बार बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

...नांक 26.06.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 06.02.2019 को अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ने जबाव प्रा0 पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1408 रकबा 0.8200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1410 रकबा 0.7600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1422 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नम्बर 1411/3517 रकबा 0.6400 हैक्टर कुल खसरा 04 कुल रकबा 2.8300 हैक्टर अप्रार्थी घेवरराम की खातेदारी की कब्जा काश्त की स्थित है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 लगातार शान्तिपूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी व प्रार्थी के भाई वचनीलाल का कब्जा काश्त होने के संबंध में कोई कथन नही किये है। प्रार्थी ने दिनांक 18.12.1979 को ए0एस0ओ0 साहब जोधुपर प्रार्टी संख्या 3 क्षेत्र सोजत मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की बात लिखी जो अप्रार्थी संख्या 1 का जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी ने प्रर्चा लगान 64 के रकबा 2.8300 हैक्टर होना लिखा है। लेकिन उसके खसरा नंबर नही बताये है। अप्रार्थी संख्या 1 की अनभिज्ञता में प्रार्थी ने कोई कार्यवाही की हो तो अप्रार्थी संख्या 1 को जानकारी नही है। प्रार्थी ने सहायक भू–अभिलेख अधिकारी एवं सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा दिनांक 18.12.1979 को उक्त खसरा नम्बर पर डावरलाल व वचनीलाल का नाम दर्ज करने का कोई आदेश दिया हो तो अप्रार्थी संख्या 1 की जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 ने ऐसा कोई आदेश नही करवाया, यदि ऐसा होता तो उसकी पालना अवश्य होती। अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 18.12.1979 को ऐसा कोई आदेश नहीं करवाया। खसरा नंबर 1408, 1410, 1422, 1411/3517 में 1/2 हिस्सा प्रार्थी व 1/2 हिस्सा वचनीलाल के नाम दर्ज नही करवाया है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 1408 के खसरा मिलान पत्रक में तथा स्थान सहायक भू–अभिलेख अधिकारी एवं सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी का हवाला देते हुए खसरा नंबर 1410, 1422, 1411/3517 के खसरा मिलान पत्रांक में घेवर के स्थान पर डावरलाल व वचनीलाल के नाम दर्ज करना बताया, जो गलत है। प्रार्थी का यह लिखना कतई गलत है कि दिनांक 10.12.1979 से पूर्व से कब्जा प्रार्थी का कतई नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी का यह लिखना कतई गलत है कि सेटलमेंट दौरान खसरा नम्बर 1408, 1410, 1422 व 1411/3517 की जमाबंदी बनाने में पटवारी हल्का ने कोई त्रुटि की हो। जमाबन्दी में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही की गई है। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी के नाम की खातेदारी कब्जा काश्त की चली आ रही थी। उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे आज दिन तक चला आ रहा है तथा कब्जा भी अप्रार्थी संख्या 1 का बतौर खातेदार चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या भूल नही हुई है। वादग्रस्थ आराजी प्रार्थी संख्या 1 के नाम से शुरू से ही खातेदारी चली आ रही है। ऐसी सूरत में प्रार्थी डावरलाल का 1/2 हिस्सा व वचनीलाल का 1/2 हिस्सा दर्ज करने का प्रश्न ही पैदा ही नहीं होता है। प्रार्थी का यह लिखना कतई गलत एवं झूठ है कि प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व वचनीलाल का 1/2 हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त है, जबकि उक्त वर्णित कृषि भूमि का एकमात्र मालिक व स्वामी अप्रार्थी संख्या 1 ही है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने ही उक्त कृषि भूमि में मेहन्दी की फसल लगवायी, जिसकी अवेराई, निदान व कटाई का कार्य अप्रार्थी संख्या 1 के आजीविका का एकमात्र साधन उक्त कृषि भूमि ही है। प्रार्थी का यह लिखना कतई गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने माह नवम्बर 2013 में प्रार्थी को इस कृषि भूमि पर 1/2 हिस्सें पर व वचनीलाल का 1/2 हिस्सा पर कब्जा काश्त का रहा हो। जवकि उक्त कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 बतौर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त कृषि भूमि का विक्रय किसी अन्य को करने एवं रेकर्ड सुधरवाने के कोई कथन प्रार्थी को नही कहे। प्रार्थी की उपरोक्त बाते कपोलकल्पित एवं झूठी है। प्रार्थी ने दिनांक 26.04.2017 को अप्रार्थी संख्या 1

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

धोखे मे रखकर पारिवारिक सेटलमेंट लिखवा दिया। उक्त पारिवारिक सेटलमेंट में प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को भरण पोषण के लिये 30,000 /– रूपये नियत कर 15000–15000 रूपये दोनो भाईयों के द्वारा देने की बात लिखकर उक्त कृषि भूमि को हड़प करने की नियत से प्रलोभन दिया, जबकि उक्त पारिवारिक सेटलमेंट की लिखे कथनों की पालना प्रार्थी द्वारा नही करने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को नोटिस देकर उक्त पारिवारिक सेटलमेंट को निरस्त कर दिया है। खसरा संख्या 1408, 1410, 1411/3517 व 1422 का 25 वर्ष पूर्व कोई बंटवाड़ा कर प्रार्थी व वचनीलाल को सुपुर्द नही किया है। उक्त कृषि भूमि पर उपयोग उपभोग करने एवं उसमें लगी मेहन्दी की फसल की कटाई, अवेराई आदि करने का अधिकार अप्रार्थी संख्या 1 को है। प्रार्थी उक्त कृषि भूमि को हड़प कर अप्रार्थी संख्या 1 को बेदखल करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 1 की आमदनी का एकमात्र जरिया उक्त कृषि भूमि ही है। प्रार्थी कतई उक्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्से में नाम दर्ज करवाने का अधिकारी नही है। कि प्रार्थी ने दिनांक 24.06.2014 को तहसीलदार साहब सोजत के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया हो तो अप्रार्थी संख्या 1 को जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। कब्जे के संबंध में कमीश्नर रिपोर्ट कतई मानने योग्य नही है। यदि प्रार्थी ने ऐसी कोई रिपोर्ट पेश की हो तो अप्रार्थी संख्या 1 को जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। इस प्रकार जबाव प्रा0 प्रार्थना मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन किया कि चूंकि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर खसरा नंबर 1408, 1410, 1422, 1411/3517 में 1/2 हिस्से में अपना खातेदारी नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया है जो धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कतई खातेदार घोषित नही किया जा सकता है। अर्थात् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्ती का नही है। वर्णित प्रा0 पत्र के तथ्यों अनुसार उक्त प्रकरण धारा 136 एल0आर0एक्ट0 की परिधि में नही आने से कतई पोषणीय नही होने से धारा 136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गई व समाप्त की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 घेवरराम पुत्र वेलाराम ने इस कृषि भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थी व प्रार्थी के भाई बचनीलाल पुत्र घेवरराम का बराबर बराबर हिस्से में कब्जा काश्त होने की वजह से दिनांक 18.12.1979 को श्रीमान ए0एस0ओ0 साहब जोधपुर पार्टी संख्या 3 क्षैत्र सोजत को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सोजत चक 2 की सीमा का पर्चा लगान 64 रकबा 2.8300 हैक्टर मिला है इस भूमि पर काश्त कब्जा मेरे लड़को डावरलाल व बचनीलाल पिसरान घेवर का है महरवानी फरमाकर पर्चा लगान नंबर 64 पर मेरा नाम खारिज कर डावरलाल 1/2, वचनीलाल 1/2 पिसरान घेवरराम कौम घांची दर्ज फरमावे। जिस पर सहायक भू अभिलेख अधिकारी एवं सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर कैम्प सोजत के न्यायालय में पत्रावली संख्या 2550/79 कायम की गई। सहायक भू अभिलेख अधिकारी एवं सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा बाद लेने बयानात दिनांक 18.12.1979 को यह आदेश प्रदान किया गया कि उपरोक्त खसरा नम्बरान पर डावरलाल पुत्र घेवरराम हिस्सा 1/2 व बचनीलाल पुत्र घेवरराम का हिस्सा 1/2 कौम घांची खातेदार दर्ज किया जावें। तरमीम पर्चा, जारी हो रेकर्ड में अमल दरामद कर पत्रावली फैसल शुमार हो। इस आदेश दिनांक 18.12.1979 की पालना में पर्चा लगान संख्या 64 खसरा संख्या 1408, 1410, 1422 व 1411/3517 में तरमीम कर घेवर वल्द वेला के स्थान पर प्रार्थी डावरलाल वल्द घेवर का 1/2 व बचनीलाल वल्द घेवर

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

2 दर्ज किया गया तथा इन खसरा नम्बरान में खसरा संख्या 1408 के खसरा मिलान पत्रक में यथा स्थान सहायक भू–अभिलेख अधिकारी एवं सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के आदेश का उल्लेख करते हुए एवं खसरा संख्या 1410, 1422 व 1411/3517 के खसरा मिलान पत्रक में यथास्थान ब0न0 खसरा संख्या 1408 लिखकर के तरमीम कर घेवर के स्थान पर डाबरलाल पुत्र घेवर एवं बचनीलाल पुत्र घेवर नाम इन्द्राज कर दिया गया है। माफिक आदेश सहायक भू अभिलेख अधिकारी एवं सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर दिनांक 18.12.1979 पत्रावली संख्या 2550/79 एवं तरमीम पर्चा लगान संख्या 64 अवधि बन्दोबस्त 20 वर्ष (2033–2052) तक व माफिक संशोधन खसरा मिलान पत्रक इस कृषि भूमि के रेवेन्यु रेकर्ड जमाबंदी में संशोधन कर घेवर पुत्र वेला के स्थान पर प्रार्थी डावरलाल पुत्र घेवरराम 1/2 हिस्सा एवं बचनीलाल पुत्र घेवरलाल 1/2 हक हिस्सा फरमाया जाने की ईश्तदुआ की है। अधिवक्ता प्रार्थी दृष्टांत RRD-14.01.2018 पेज संख्या 6 सेक्सन 136 एल0आर0एक्ट0 जोधाराम एवं अन्य बनाम राजस्व मण्डल एवं अन्य का पेश किया। बहस के जबाब में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने व्यक्त किया कि चूंकि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर खसरा नंबर 1408, 1410, 1422, 1411/3517 में 1/2 हिस्से में अपना खातेदारी नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया है हस्ब जबाब प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यानुसार धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कतई खातेदार घोषित नही किया जा सकता है अर्थात् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्ती का पोषणीय नही है। ए0आर0ओ0 द्वारा प्रदत्त निर्णय/आदेश के विरूद्ध अपील/उज्र आदि सुनने के अधिकार भू–प्रबन्ध अधिकारी (जिला कलक्टर महोदय) को है। जबकि उपखण्ड अधिकारी को मात्र सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के ही अधिकार निहित है जिससे प्रा0 पत्र के तथ्यों अनुसार उक्त प्रकरण धारा 136 एल0आर0एक्त0 की परिधि में नही आने से कतई पोषणीय नही होने से धारा 136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में RRT 2011-12 (Supp.) Page 284 से 289, Shyamswaroop vs. Bhodar Mal & Ors. RRT 2015(1) पेज 10 से 12, RRT 2011(1) पेज 67 से 69, RRT 2011(2) पेज 905 से 907 के न्यायिक दृष्टांत/उद्धरण पेश किये हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्थान अधिनियम, 1956 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेज, जबाब प्रा0 पत्र एवं दस्तावेजात उभयपक्ष का अध्ययन किया। अधिवक्तागण उभय पक्षों द्वारा की गई बहस वकुलाय पर गौर कर व मनन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो/नजीरों का गहनता से अध्ययन कर गौर व मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार स्पष्टतः दृष्टिगत है कि इन्द्राज दुरूस्ती उज्रदारी/प्रा0 पत्र पत्रावली संख्या 2550/79 दायर/कायम कर निर्णय दिनांक 18.12.1979 को सहायक भू–प्रबन्धक अधिकारी (भू–अभिलेख अधिकारी) जोधपुर को प्रस्तुत की गई का बाद विधिक सुनवाई न्यायिक प्रक्रियाधीन निर्णित की जाकर उक्त न्यायालय से निर्णय हुआ है। जिसकी अपील/उज्र सुनने का अधिकार भू–प्रबंध अधिकारी (जिला कलक्टर, महोदय, पाली) को है, किन्तु उक्त न्यायालय में विधिवत् अपील/ पेश उज्रदारी नहीं की जाकर धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रा0 पत्र गलत एवं विधि विरूद्ध पेश किया है। फलतः हस्तगत प्रा0 पत्र क्लीन हैण्ड से पेश नहीं किया है तथा सेटलमेंट विभाग के सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा निर्णय के विरूद्ध भू प्रबंध अधिकारी अर्थात् (जिला कलक्टर पाली) को निहित है। अन्य

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

...व्रत/पारिवारिक सैटलमेंट से सम्बद्ध दस्तावेजात को विधिसम्मतता से सम्बन्धित न्यायिक निर्णय के अधिकार भी सिविल न्यायालय को है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत/उद्धरण की अपेक्षाकृत अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत/उद्धरण उचित चस्पा होते है। लिहाजा उक्त अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का खारिज किया जाना उचित समझते है। अधिवक्ता मय प्रार्थी सक्षम न्यायालय/सिविल न्यायालय में प्रा0 पत्र/अपील/उजदारी पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेंगें।

–ःआदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् चूंकि हस्तगत प्रा0 पत्र क्लीन हैण्ड से पेश नहीं किया है तथा सैटलमेंट विभाग के सहायक भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा किये गये निर्णय के विरूद्ध भू प्रबंध अधिकारी महोदय (जिला कलक्टर पाली) को अपील/उजदारी/प्रा0 पत्र सुनने के अधिकार निहित होने से तथा न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार से बाहर प्रा0 पत्र का प्रस्तुत उक्त प्रकरण पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। सक्षम न्यायालय में प्रा0 पत्र/अपील/उज्रदारी पेश करने हेतु अधिवक्ता मय प्रार्थी स्वतंत्र रहेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तक तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/रेकर्ड भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी सोजत (पाली) न्यायालय

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner